Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 12, Issue 1 | May 2024 - October 2024 | pp. 1-6

राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अवदान (रियासतों के विलय के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. संजय यादव

सहायक आचार्य, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश)

प्रो. गौरीशंकर महापात्र

आचार्य, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश)

शोध सारांश

सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वातन्त्र्य समर के महानायक हैं। वह एक ऐसे महान सेनानी हैं जिन्होंने अविश्राम राष्ट्रकर्म किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल परम नैष्ठिक देशभक्त, दृढ़ संकल्पित, दूरदर्शी राजपुरुष, कुशल प्रशासक के रुप में समादृत हैं। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व समस्त राष्ट्र को प्रभावित करता था। राष्ट्रवाद एक भू सांस्कृतिक सत्य और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, राष्ट्रवाद राष्ट्र में निवासित लोगों के उस आस्था का नाम है जिसमें वे स्वयं को साझा इतिहास, परम्परा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकता के सूत्र में बंधे हुए पाते है। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र रूप से विकास हुआ। विकास की इस प्रक्रिया में बौद्धिक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। जिसमें अपने देश को अन्य पाश्चात्य देशों से आगे ले जाने की प्रेरणा थी। इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल विशेष उल्लेखनीय हैं। उनमें साम्राज्यवादी सत्ता से मुक्ति की छटपटाहट थी। उनकी आंतरिक प्रतिभा और निर्मल गुण ही उनके तेज, ओज और वर्चस्व का प्रवाह करते थे। उनका एक ही मन्त्र था भारत का विमोचन। भारत का निर्माण। संशय, संदेह और द्वन्द्व के स्थान पर शक्तिशाली नीतिर्निघोष और उसका कार्यान्वयन उनका पुरुषार्थ था। पद उनके लिए राष्ट्र सेवा की स्वीकृति थी। यही कारण था कि जब ब्रिटिश सत्ता ने देशी रियासतों को भारत से अलग करने की नीति अपनाई तो सरदार पटेल व्यथित हो गए। उन्होंने रियासतों के विलय का वह कार्य किया जो बिस्मार्क ने 'रक्त और अयस' से किया। वल्लभ भाई पटेल ने राजनय रियासतों के विलय से किया।

संकेताक्षर—*राष्ट्रवाद, स्वदेशी, राष्ट्रीय एकीकरण, रियासत, विलय*

प्रस्तावना

सरदार वल्लभ भाई पटेल अखिल भारत के उच्चत्तम नेतृत्वकर्ता थे। वह आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अद्वितीय शिल्पी थे। स्वाधीनता के बाद राष्ट्र का निर्माण और समस्याएं राष्ट्र निर्माताओं के कंधे पर आ गयीं। स्वाधीनता के पश्चात् अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। साम्राज्यवादी सत्ता ने अपनी 'बांटों और राज करो' की नीति का अवलम्ब लेते हुए भारतीय रियासतों को यह खुली छूट दे दी कि वे चाहें तो भारत में रहें, चाहें तो पाकिस्तान में अथवा अपने को अलग राज्य घोषित कर लें (ग्रोवर और ग्रोवर, 1998)। ऐसे में भारतीय एकता और अखंडता को और सुदृढ़ रखना एक विकट समस्या थी। ऐसी विषम परिस्थिति में सरदार पटेल ने रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकीकरण को अक्षुण्ण रखा। उन्होंने रियासतों को भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकीकरण का साहसिक, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्य किया। उनके इस अनुपम योगदान के सम्मान में राष्ट्र उनके जन्म दिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी का संपोषक है।

सरदार पटेल राष्ट्रवादी थे। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। राष्ट्रहित में स्वहित का त्याग उनका मूलमंत्र था। राष्ट्र निर्माण उनका सातत्य राष्ट्र कर्म था। उन्होंने सदैव देश के लिए काम किया। पदलिप्सा उन्हें दिग्भ्रमित नहीं कर सकी। मोरारजी देसाई

ISSN 2348-3857

का आग्रह है कि "हमारी राष्ट्रीय जागृति के इतिहास में सरदार पटेल प्रथम श्रेणी के वीर पुरुष हैं। इस जीवन चरित्र में उनका उत्कृष्ट देशप्रेम, अप्रतिम और निःस्वार्थ सेवा भाव, विलक्षण बुद्धिशक्ति तथा निर्भयता के गुण हमारे सामने आते हैं। गाँधीजी के विश्वस्त सहयोगी और अनुयायी के रूप में सरदार ने सत्याग्रह के अनेक संग्रामों में नेतृत्व ग्रहण कर के सामान्य जनमानस को जागृत किया। जनचेतना का निर्माण किया। कालांतर में स्वराज्य प्राप्ति पर पंडित जवाहर लाल नेहरू के वफादार साथी के नाते सरदार साहब ने भारत के शासनतंत्र को देश के प्रति जिम्मेदार और सुदृढ़ बनाया" (वर्मा, 2015. पृ. 71)। सरदार पटेल की कथनी और करनी अभेद थी।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के निर्माण में देशी रियासतों के विलय द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के अवलोकन पर अवलंबित है।

राष्ट्रवाद की अवधारणा

भारतीय राष्ट्रवाद का अपना अलग वैशिष्ट्य है। भूमि के एक टुकड़े या विशाल भू खंड से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। इस भूखंड पर रहने वाली एक बड़ी आबादी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती। भूखंड और उस पर निवासित जन समूह पर शासन करने वाली सत्ता भी राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकती। राष्ट्र निर्माण के लिए उस विस्तृत भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या में एक जीवन श्रद्धा चाहिए। एक विशिष्ट संस्कृति मूलक जीवन रचना चाहिए। तभी उसे राष्ट्र कहा जा सकता है। भारत एकात्मभाव राष्ट्र है। उसका एक शरीर है, एक आत्मा है। इसीलिए भारत एक स्थायी राष्ट्र है। भारतीय भूखंड सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं अपितु यह एक प्रीतिकर परिवार है। इसमें राष्ट्रीयता के भाव बसते हैं। यह राष्ट्र भाव समय समय पर प्रबल होता रहा। स्वाधीनता आन्दोलन के समय भारतीय जनमानस में एकात्मकता की भावना ने राष्ट्रवाद को प्रगाढ़ किया। भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता है। राष्ट्रवाद ही वह धागा है जो इन बिखरे मोतियों को एकता के सूत्र में बाँधता है। यही वह भाव है जो भिन्नताओं में समन्वय स्थापित करता है। हमारे अन्तःकरण में मातृभूमि के प्रति अडिग आस्था जो हृदयतंत्र को समान आदर्शों एवं जीवन मूल्यों से झंकृत करता है। भारतीय राष्ट्रवाद की यूरोपवादी या मार्क्सवादी व्याख्या नहीं हो सकती। इसे पश्चिम के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आप दुनिया के किसी भी साहित्य में अथर्ववेद और महाभारत जैसे राष्ट्र नहीं पाएंगे।

भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सदैव गतिशील रही है। यह राष्ट्रवाद की भावना के साथ वर्षों तक किये गए कठिन संघर्षों एवं असंख्य बलिदानों का प्रतिफल है कि साम्राज्यवादी सत्ता से भारत को स्वतंत्रता मिली। उस समय भारत में अनेक छोटी-छोटी रियासतें थीं। लेकिन स्वाधीनता संघर्ष में देश एक राष्ट्र के रुप में खड़ा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का राष्ट्रीय एकीकरण कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद देशी रियासतों को भारत में विलय कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य व्यवस्था की संरचना में सरदार गाँधीवादी मूल्यों के व्यावहारिक आचरण पर बल देते थे। स्वराज्य का दर्शन सरदार पटेल ने महात्मा गाँधी से प्राप्त किया था। स्वराज्य सम्बन्धी विचारों में उन पर गाँधी का प्रभाव देखा जा सकता है। वह स्वतंत्रता के पुजारी थे। लोकमान्य तिलक की भाँति भारतीय राष्ट्र को सप्राण, सशक्त, परम दृढ बनाना ही सरदार पटेल के जीवन का महामन्त्र था (पटेल, 2014,पृ.7)। सन् 1917 के चंपारण सत्याग्रह से गाँधी को भारत और भारत को गाँधी मिले। सन् 1918 ई. में बारदोली के किसान आन्दोलन के सफल नेतृत्व से हिन्द को सरदार और सरदार को हिन्द मिला। इस आन्दोलन के उपरान्त वहां की महिलाएँ और महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार को उपाधि से विभूषित किया। यह एक अद्भुत संयोग था कि दोनों महापुरुषों ने किसान आन्दोलन से अपने राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत किया। वस्तुतः सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह से राष्ट्रीय नेता के रूप स्थापित हो चुके थे।

भारतीय राष्ट्रवाद के संवर्धन में पटेल का अविस्मरणीय कार्य देशी रियासतों को भारत में विलय कराना है। अपनी राजनीतिक समझ, व्यवहार कुशलता और प्रशासनिक योग्यता से पाँच सौ से अधिक छोटे-बड़े देशी नरेशों का भारत संघ में विलय कर राष्ट्र की एकता और अखण्डता का उन्होंने रक्षा किया। जर्मनी में जो कार्य बिस्मार्क ने "रक्त और अयस" (Blood and Iron) से किया, वह कार्य पटेल ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा, राजनीतिक कुशलता और प्रशासनिक क्षमता से किया। 21 अक्टूबर, 1990 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन

ने उनके इस अद्वितीय कार्यक्षमता का स्मरण इन शब्दों में किया "यदि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, तो सरदार पटेल को संयुक्त भारत का अभियंता माना जा सकता है।" (अग्रवाल,1992 पृ.378)

रियासत सम्बन्धी विषय

भारत की देशी रियासतों की संख्या को लेकर भी इतिहासकारों में मत भिन्नता है। कुछ इतिहासकार इनकी संख्या 521 मानते हैं तो कुछ 565 मानते हैं। एक बात निर्विवाद है कि इनकी संख्या पांच सौ से अधिक थी। इन रियासतों का आकार, प्रकार और आर्थिक स्थिति भी भिन्न थी। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इनकी स्थिति अलग थी। कश्मीर और हैदराबाद जैसे रजवाड़े थे जो यूरोप के किसी देश के बराबर जनसंख्या और भूभाग रखते थे। छोटी जागीरें भी थी जो एक दर्जन गाँव में सिमट जाती थीं। स्वाधीनता पूर्व या स्वाधीनता के बाद इनको भारत में एकीकृत करना टेढ़ी खीर था। इसका अनुमान भारत के वायसराय लार्ड वेवेल के 1943 में दिए गए इस वक्तव्य से लगाया जा सकता है—"हमें आज या कल इन रजवाड़ों के साथ खुलकर बात करनी ही होगी। अगर हम ये कहते हैं कि हम सारे रजवाड़ों को संभाल लेंगे तो हम अपने कथन के प्रति ईमानदार नहीं हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे" (गुहा, 2011. पृ. 43)। नेहरू के जीवनीकार एस. गोपाल अपनी पुस्तक 'जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, खंड एक पृ. 359 पर लिखते हैं कि "रजवाड़ों के मुद्दे पर नेहरू के अपने ठोस विचार थे। वह सामंती तानाशाही और आम जनता के आन्दोलनों का पूर्ण रूप से दमन किये जाने के खिलाफ थे। वह उन कठपुतली महाराजाओं के मन में सम्राट बन जाने की पल रही मानसिकता को लेकर चिढ़े हुए थे" (गोपाल,1975. पृ. 359)। रजवाड़ों की इस मानसिकता को सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट (वह विभाग जो देशी रियासतों के साथ रजवाड़ों का मामला देखता था) द्वारा प्रश्रय मिल रहा था।

उधर राजे रजवाड़े नेहरू से भयभीत थे। उनका यह भय नेहरू के प्रति घृणा के भाव में परिवर्तित हो चुका था। इसी समय कांग्रेस ने रियासतों के समस्या समाधान का गुरुत्तर कार्य सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल प्रशासनिक कार्यों में दक्ष एवं सख्त माने जाते थे। पटेल ने रजवाड़ों के दीवानों को पत्र लिखा कि "वे कांग्रेस के साथ समझौता कर लें जो अब हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली है" (गाँधी, 1991. पृ. 408)। बीकानेर के महाराजा सरदार पटेल के पक्ष में सबसे पहले आये थे (सुन्दरलाल, 2002. पृ. 187)। उस समय बीकानेर के महाराज के दीवान एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पन्निकर थे। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक सीख तथा दूरगामी सोच से यह समझ लिया था कि 'एशिया के इतिहास का वास्कोडिगामा युग का शीघ्र ही अंत होने वाला है' (पन्निकर, 1959, पृ. 206)। पन्निकर को यह पूर्वाभास हो गया था कि अब भारत में राष्ट्रवादी ताकतों को रोकना असम्भव है। इनसे समझौता कर लेने में ही भलाई है।

पन्निकर ने बीकानेर के अन्य रजवाड़ों से भी अनुरोध किया कि वे कांग्रेस से समझौता कर संविधान सभा में सम्मिलित हो जाएँ। उनका आग्रह था कि "उनके संविधान सभा में सम्मिलित हो जाने से यह सन्देश जायेगा की वे भारतमाता के देश भक्त और योग्य सपूत हैं" (एसपीसी, परिशिष्ट 2, खंड 5)। 27 जून 1947 को भारत सरकार ने पोलिटिकल डिपार्टमेंट की जगह एक नए राज्य विभाग का गठन किया। सरदार पटेल ने इस नवगठित विभाग का कार्यभार ग्रहण किये तथा वी.पी. मेनन को अपना सचिव बनाये। (फातिमा, 2016)। 9 जुलाई 1947 को सरदार पटेल और पंडित नेहरू रियासतों के सम्बन्ध में वायसराय से मिले और वायसराय द्वारा इसे अपनी प्राथमिकता में रख लिया गया। रियासतों का भारत संघ में विलय असाधारण समस्या थी। इस विषय को लेकर गाँधी भी उसी दिन वायसराय से मिले और उनसे आग्रह किया कि—"वह अपनी पूरी शक्ति से सभी उपाय करें जिससे 15 अगस्त को अंग्रेजों को देशी रियासतों की आजादी के एलान का उकसावा न मिले और वे अपने पीछे देश को बालकनीकरण (खंड खंड) की स्थिति और अराजकता में छोड़कर न जाएँ (गुहा, 2011, पृ. 51)। जिस विलय पत्र पर रजवाड़ों से हस्ताक्षर कराने थे उसके अनुसार रजवाड़ों को अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार भारत संघ के सुपुर्द कर देना था जो सामान्य बात नहीं थी।

राष्ट्रीय एकीकरण

राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में पटेल और कांग्रेस ने बड़ी चतुराई का कार्य किया। जनविरोध को हथियार के रूपमें प्रयोग कर रजवाड़ों को अपनी बात मनवाने पर विवश कर दिया।

ISSN 2348-3857

1947 के उत्तरार्ध में वी.पी. मेनन भारत भ्रमण कर रजवाड़ों को भारत में विलय के लिए तैयार करते रहे। उनका पहला प्रयास यह था कि जिन राजाओं के क्षेत्र भारत के अंदर पड़ते थे, उनसे यह अपील करना कि वे तीन विषयों पर भारतीय संघ को स्वीकृति प्रदान करें जिनसे पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, जैसे विदेश संबंध, सेवा और संचार। रियासतों की समस्या पर सरदार पटेल ने जब माउंटबेटन से यह कहे कि—"आजादी मिलने के दिन तक सेब से भरी पूरी टोकरी को एक साथ लायें। वायसराय ने उनसे पूछा था कि क्या 565 सेबों के थैले में से 560 पर संतुष्ट हो जायेंगे? सरदार पटेल ने इस पर अपनी सहमति जताई (हडसन, 2004. पृ. 367-8)। सरदार पटेल और मेनन, अपने प्रशासनिक कौशल से अंग्रेजों को भी मात दे दिया। रियासतों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजी राज में ही 'बांटो और राज करो' की अंग्रेजी कूटनीति का भरपूर प्रयोग किया। महाराजाओं को बच्चों के जैसे दुलारते रहे जिससे उनके अहं की पुष्टि होती रही। 15 अगस्त 1947 तक 500 रियासतों का अस्तित्व इतिहास के पन्नों में तथा भूगोल भारत में विलीन हो गया। इन रियासतों का भारत की चौदह प्रशासनिक इकाइयों में विलय हो गया। सरदार पटेल की यह ऐसी अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और अनुपम उपलब्धि थी जो दुनिया के किसी भी मापदंड पर अतुलनीय थी। यह उपलब्धि सरदार पटेल की दूरदर्शिता, बुद्धिमता, प्रशासनिक कुशलता और कठिन कर्म साधना का प्रतिफल था जिसे किसी लड़ाई से प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

सरदार पटेल ने अगस्त 1947 के पहले ही यह संकेत दे दिया था कि भौगोलिक समीपता और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अटूट सम्बन्धों के कारण देशी रियासतों का दायित्व है कि भारत में अपना विलय कर दें। इसी में उनकी और राष्ट्र की भलाई है। पटेल ने अपने आग्रह में यह कहा था कि- "यह देश अपनी परम्पराओं के साथ उन लोगों की गौरवपूर्ण विरासत है जो इसमें निवास करते हैं। यह संयोग की बात है कि इनमें से कुछ ब्रिटिश भारत में रहते हैं और कुछ रियासतों में। परम्पराओं और संस्कृति में सब बराबर के साझेदार हैं। हम सभी रक्त, भावनाओं और हितों की समानता से बँधे है। हमें कोई भी खण्डों में विभाजित नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम आपस में बैठकर मित्रों की तरह नियम निर्धारित कर लें, अपेक्षाकृत इसके कि हम विदेशियों की भाँति सन्धि करें। मैं अपने रियासतों के शासकों और उनकी जनता को अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान, निष्ठा सबके समान हित के लिए मैत्रीपूर्ण और सहयोग की भावना से संविधान सभा में आने के लिए निमंत्रित करता हूँ" (पारीख, 1953. पृ. 263)। सरदार पटेल ने रियासतों को राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने की बात कही थी, पर स्वतंत्रता प्राप्ति तक और उसके बाद भी यह राष्ट्रभाव, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर को समझ नहीं आयी।

जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर

जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू- कश्मीर रियासत द्वारा 15 अगस्त तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। जूनागढ़ का नवाब मोहब्बत खान था। अनेक नस्लों के कुत्ते पालना उसका शौक था। 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के दिन नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। विचारणीय विषय यह था कि यहाँ की बयासी प्रतिशत जनता हिन्दू थी और यह जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के ढांचे में भी नहीं आता तब उसने ऐसी घोषणा क्यों की। पाकिस्तान द्वारा इस को स्वीकार किया जाना भारतीय राष्ट्रवाद को चुनौती के साथ सरदार पटेल को भी चुनौती थी क्योंकि सरदार पटेल भी उसी क्षेत्र से आते थे। सरदार पटेल की पहली प्रतिक्रिया भी आयी। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ जिसमे 91 प्रतिशत जनता ने भारत में विलय का फैसला लिया (मेनन, 2014. पृ. 124)।

हैदराबाद रियासत की स्थिति भी जूनागढ़ जैसी थी। वहां की अधिकांश जनता हिन्दू तथा शासक मुस्लिम था। यहाँ के निजाम के अन्दर पाकिस्तान में विलय करने की महत्वाकांक्षा पल रही थी। निजाम के वकील ने स्पष्ट कह दिया था कि "वैकल्पिक रूप से पाकिस्तान में शामिल हो जाने पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।" सरदार पटेल ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि "एक आजाद हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में कैंसर जैसा है" (वर्मा, 1998. पृ. 769)। 21 जून 1948 को लार्ड माउन्टबेटन ने गवर्नर जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया और स्वदेश वापस चले गए। सरदार पटेल के लिए निर्णयात्मक फैसला लेना आसान हो गया। 13 सितम्बर को भारतीय सेना की एक टुकड़ी हैदराबाद भेजी गयी और चार दिन में रियासत पर कब्जा हो गया (मुंशी, 1950. पृ. 176)। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना था कि जिन्ना की

मृत्यु के दो दिन बाद यह कार्यवाही क्या एक संयोग था या सोची समझी नीति थी।

टोकरी के जिस सेब की बात माउंटबेटन ने की थी उनमें एक सेब ऐसा था जो टोकरी की परिधि में पड़ा रहा और यह सेब था जम्मू कश्मीर। पहले तो इसने भारत और पाकिस्तान दोनों से यथास्थितिवादी का (स्टैंडस्टील एग्रीमेंट) समझौता किया। 26 अक्टूबर 1947 को विलय तो अवश्य हुआ पर यह समस्या निरंतर बनी रही। जिसका हल आजादी के लम्बे समय बाद निकला। 554 रियासतों को एक एक कर गणराज्य बनाना उनकी अराजक व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलना और उनका प्रशासनिक लोकतांत्रीकरण करना एक कठिन और दुरूह कार्य था जिसे पटेल ने कर दिखाया। इस प्रकार सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रवाद के संवर्धन में, स्वतंत्रता संग्राम में, देशी रियासतों के राष्ट्रीय एकीकरण में, स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक क्षेत्र में, तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरदार पटेल की दूरदृष्टि और कर्त्तव्यनिष्ठा ने राष्ट्रभाव को अखंड भारत का स्वरूप दिया। वस्तुतः पटेल आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उनके व्यक्तित्व में बिस्मार्क जैसी संगठनात्मक कुशलता, चाणक्य जैसी राजनीतिक क्षमता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। वे राष्ट्रवादी थे और उनमें भारत का सनातन राष्ट्रभाव प्रवाहित था।

राष्ट्रभाव और स्वराज्य की संकल्पना

सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वराज्य के समर्थक थे। सरदार पटेल का अध्यक्षीय उद्‌बोधन उनके स्वराज्य के प्रति प्रगाढ़ आस्था को प्रतिबिम्बित करता है। 'हमें कैसा स्वराज्य चाहिए।' इसकी कल्पना करते हुए उन्होंने कहा "हम ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जिसमें रूखी सूखी रोटी न मिलने के कारण सैकड़ों मनुष्य मरते न हों, पसीना बहाकर पैदा किया हुआ अनाज किसानों के बच्चों के मुँह से छीनकर विदेश न ले जाया जाता हो, जिसमें लोगों को कपड़े के लिए पराये मुल्कों पर आश्रित न रखना पड़ता हो, थोड़े से विदेशियों की सुविधा की खातिर राजकाज विदेशी भाषा में न चलता हो, हमारे विचारों और शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा न हो, राज्य का शासन जमीन और आसमान के बीच पृथ्वी तल में सात हजार फीट की ऊँचाई (वाले स्थान शिमला) से न होता हो और महान् देशभक्तों की स्वतंत्रता खतरे में न हो (मेहता, 1970. पृ. 285.)। पटेल स्वराज्य को राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते थे। उनकी मान्यता थी कि साम्राज्यवादी ताकतें राष्ट्रभाव का दमन करती हैं।

राष्ट्रभाव और स्वदेशी की अवधारणा

पटेल स्वदेशी के समर्थक थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं और पद्धति का विरोध किया। अपने उद्‌बोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि—"कुछ लोग पाश्चात्य सुधारों के पुजारी हैं। उन्हें चरखे में देश को डेढ़ सौ वर्ष पीछे ले जाने का डर दिखाई दे रहा है। वह यह नहीं देख सकते है कि पश्चिमी सुधार जगत की अशान्ति की जड़ है। राजा प्रजा के बीच कलह कराने वाला, बड़ी बड़ी सल्तनतों का नाश करने वाला और मालिकों तथा मजदूरों के बीच गृह युद्ध मचाने वाला पश्चिमी सुधार शैतानी शस्त्रों और सामग्री पर निर्मित है" (सेनगुप्ता, 2019, पृ. 79)। सरदार पटेल ने आर्थिक राष्ट्रवाद एवं स्वदेशी का समर्थन करते हुए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। 18 सितम्बर, 1921 को अहमदाबाद में विदेशी कपड़ों की होलिका दहन किया गया। सरदार पटेल की मान्यता थी कि "विदेशी वस्त्रों की होलिका दहन के निश्चय से ही इंग्लैण्ड के लंकाशायर वस्त्र उद्योग में खलबली मच गई है"(नांदुरकर, 1981, पृ. 17.)। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जनता को "शुद्ध भावना से विदेशी कपड़े का हमेशा के लिए बहिष्कार करना होगा" (नांदुरकर, 1981)। जनमानस को स्वदेशी वस्त्रों के प्रति जागृत करने के लिए सरदार पटेल ने स्वयं 1921 की गर्मियों से खादी पहनना शुरू किया। खादी वस्तुतः वस्त्र नहीं विचार का प्रतीक बन चुकी थी। यह जनभावना से जुड़ चुकी थी। स्वदेशी का संकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि का संकल्प था।

स्वदेशी भाषा और शिक्षा

गाँधी के असहयोग आन्दोलन के समय से ही अनेक कार्यक्रम, जैसे विदेशी शिक्षा का बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा था। स्वदेशी वस्तुओं के साथ भाषा विषयक विचार भी उठाने लगे थे। राष्ट्रीय एकीकरण में भाषा का विशेष योगदान होता है। भाषा भावों की संवाहक होती है। भाषा ही लोगों को एकता के भाव में पिरोती है। गाँधी के वैशिष्ट्य से विश्व परिचित है। पटेल का वितान इतना व्यापक है कि वैश्विक फलक पर वरेण्य हैं। दोनों महापुरुषों ने भाषा को राष्ट्रभाव का संवाहक माना। दोनों ने अंग्रेजियत का

विरोध किया। सरदार पटेल का आग्रह था है कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो तभी राष्ट्र और राष्ट्रभाव का विकास होगा। शिक्षा का माध्यम हिंदी बने तभी हम एकता के सूत्र में बंधेंगे।

निष्कर्ष

भारत अनादि काल से एक सांस्कृतिक इकाई रहा है। यहाँ अनेक जन समूह हैं। यद्यपि विशेष परिस्थिति और जलवायु के कारण अलग रीति रिवाज अपनाये जाते हैं, पर इनमें सांस्कृतिक एकता है। यहाँ राष्ट्र सर्वोपरि आस्था है। पटेल के चित्त और मानस पटल दोनों जगह राष्ट्र की एकता उमड़-घुमड़ रही थी। उनके अहर्निश प्रत्येक श्वास में राष्ट्रोद्धार का वायु प्रवाह था। वह भारत को अखंड देखना चाहते थे। उनमें सनातन राष्ट्रबोध था। भारत की एकता का भाव था। साहस की कोटियाँ बहुधा संकट के पैमाने से निर्धारित होती हैं। संकट जितना बड़ा होगा उसके समाधान के लिए उतने ही बड़े साहस की आवश्यकता होगी। आजादी के बाद रियासतों का विलय गंभीर संकट था। साम्राज्यवादी सत्ता की नीतियों ने रियासतों को अलग होने के लिए हवा दे रखा था। अखंड भारत उन्हें स्वीकार नहीं था। इसका एक खंड तो उन्होंने पाकिस्तान के रूप में पहले ही कर दिया था। रियासतों को भी तोड़ने की नीति अपना चुके थे। ए.आर. देसाई अपनी पुस्तक "राष्ट्रजीवन की दिशा" के पृ. 5-6 पर लिखते हैं कि "ब्रिटेन ने अपने निजी हित में भारतीय समाज के आर्थिक और भौगोलिक ढांचे में परिवर्तन किया"। ऐसे में भारतीय एकता और अखण्डता को बनाये रखने की दृष्टि से रियासतों का विलय एक विकट समस्या और भारतीयता के लिए महान संकट था। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या का समाधान और इस संकट से संघर्ष का साहस किया। उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली। सरदार पटेल जैसे महान राजपुरुष के राजदर्शन को समझने का प्रयास होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों और शोधार्थियों तथा राजकर्मनिरत व्यक्तियों को पटेल के जीवन दर्शन को उद्घाटित करना चाहिए। सबमें राष्ट्र सर्वोपरि की आस्था होनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ग्रोवर, यशपाल और ग्रोवर बी.एल. स्वधीनता आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, एस.चंद एंड कंपनी, दिल्ली, 1998. पृ.सं. 83.
2. वर्मा, शिवांगी, भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टार प्रिंट एंड बाइंडर, दिल्ली, 2015, पृ.सं. 71.
3. पटेल, रावजी भाई, हिन्द के सरदार (प्रस्तावना), नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 2014, पृ.सं. 7.
4. अग्रवाल, आर.सी., भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, एस चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1992, पृ.सं. 378.
5. गुहा, रामचंद्र, भारत गाँधी के बाद, पेंगुइन बुक्स, दिल्ली, 2011, पृ.सं. 51.
6. गोपाल, एस. जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, खंड 1, 1889-1947, केप, लन्दन, 1975, पृ.सं. 359.
7. गाँधी, आर. पटेल, ए लाइफ, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद, 1991, पृ.सं. 408-11.
8. सुन्दरलाल, भारत में अंग्रेजी राज्य, खंड दो, प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 2002, पृ.सं. 187.
9. पन्निकर, के. एम., एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस, जोर्ज एलेन एंड अनविन, लन्दन, 1959, पृ.सं. 207.
10. बीकानेर के महाराजा की राजाओं से अपील, एसपीसी परिशिष्ट-2, खंड-5, पृ.सं. 518-24.
11. फातिमा, इकबाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन एवं विचार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2016, पृ.सं. 50.
12. हडसन, एच.वी., द ग्रेट डिवाइड : ब्रिटेन-इंडिया-पाकिस्तान, हचिंसन, लन्दन, 2004, पृ.सं. 367-8.
13. पारीख, एन.डी., सरदार वल्लभ भाई पटेल, वाल्यूम 1, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1953, पृ.सं. 263.
14. मेनन, वी.पी., इंटीग्रेशन ऑफ़ द इंडियन स्टेट्स, ओरिएंट ब्लाक स्वान, दिल्ली, 2014, पृ.सं. 124.
15. वर्मा, वी.पी., आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1998, पृ.सं. 742.
16. मुंशी, के.एम., एंड ऑफ़ एन एरा, भारतीय विद्या भवन, दिल्ली, 1950, पृ.सं. 176.
17. मेहता, वी., पोट्रेट ऑफ़ इण्डिया, स्ट्रोक्स एंड गिराक्स, न्यूयार्क, 1970, पृ.सं. 285.
18. सेनगुप्ता, एच., अखंड भारत के शिल्पकार सरदार पटेल, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2019, पृ.सं. 79.